रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270197
CG-DL-E-17022026-270197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947
No. 766] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 804(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इनमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 64/000 से कि.मी.101/140 तक के भू-खण्ड (सटाणा से मंगरूळ फाटा भाग-III) पक्की कंधो के विन्यास के साथ दो लेन का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उप कलक्टर (भूमी अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, नासिक को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों को सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यलय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 64/000 से कि.मी. 101/140 तक (सटाणा से मंगरूळ फाटा भाग-III) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: देवला					
गांव का नाम: सटवाईचीवाडी					
1	121	निजी	शुष्क	0.0198 (हेक्टेयर)	0.0198
2	125	निजी	शुष्क	0.0111 (हेक्टेयर)	0.0111
3	126	निजी	शुष्क	0.0597 (हेक्टेयर)	0.0597
4	134	निजी	शुष्क	0.0779 (हेक्टेयर)	0.0779
5	136	निजी	शुष्क	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
6	143	निजी	शुष्क	0.0427 (हेक्टेयर)	0.0427
7	149	निजी	शुष्क	0.0526 (हेक्टेयर)	0.0526
8	150	निजी	शुष्क	0.0697 (हेक्टेयर)	0.0697
9	157	निजी	शुष्क	0.0218 (हेक्टेयर)	0.0218
10	158	निजी	शुष्क	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
11	165	निजी	शुष्क	0.0176 (हेक्टेयर)	0.0176
12	192	निजी	शुष्क	0.0164 (हेक्टेयर)	0.0164
13	235	निजी	शुष्क	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
14	95	निजी	शुष्क	0.0762 (हेक्टेयर)	0.0762
15	96	निजी	शुष्क	0.0443 (हेक्टेयर)	0.0443
16	97	निजी	शुष्क	0.0596 (हेक्टेयर)	0.0596
17	99	निजी	शुष्क	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073

तालुक का नाम: बागलाण					
गांव का नाम: मोरे नगर					
18	54/2	निजी	शुष्क	0.0779 (हेक्टेयर)	0.0779
				Total	**0.6866**

[फा. सं. NH-12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 804(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of National Highway No.752G in the stretch of land from Km. 64/000 to Km. 101/140 (Satana to Mangrul Phata Part-III) in the district of NASHIK in the state of MAHARASHTRA**,** hereby declares its intention to acquire such land**.**

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Collector (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 64/000 to Km. 101/140 of (Satana to Mangrul Phata Part-III) of National Highway No.752G in the district on NASHIK in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			**District: Nashik**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Deola					
Village: Satwaichiwadi					
1	121	Private	Dry	0.0198 (Hectare)	0.0198

2	125	Private	Dry	0.0111 (Hectare)	0.0111
3	126	Private	Dry	0.0597 (Hectare)	0.0597
4	134	Private	Dry	0.0779 (Hectare)	0.0779
5	136	Private	Dry	0.0004 (Hectare)	0.0004
6	143	Private	Dry	0.0427 (Hectare)	0.0427
7	149	Private	Dry	0.0526 (Hectare)	0.0526
8	150	Private	Dry	0.0697 (Hectare)	0.0697
9	157	Private	Dry	0.0218 (Hectare)	0.0218
10	158	Private	Dry	0.026 (Hectare)	0.026
11	165	Private	Dry	0.0176 (Hectare)	0.0176
12	192	Private	Dry	0.0164 (Hectare)	0.0164
13	235	Private	Dry	0.0056 (Hectare)	0.0056
14	95	Private	Dry	0.0762 (Hectare)	0.0762
15	96	Private	Dry	0.0443 (Hectare)	0.0443
16	97	Private	Dry	0.0596 (Hectare)	0.0596
17	99	Private	Dry	0.0073 (Hectare)	0.0073
Taluk: Baglan					
Village: More Nagar					
18	54/2	Private	Dry	0.0779 (Hectare)	0.0779
				Total	**0.6866**

[F. No. NH-12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.17 12:14:09 +05'30'